

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी

1. गवरीदेवी पत्नि पीराराम
2. दुगी पत्नि हुकमाराम
3. मालीदेवी पत्नि हीराराम जाति-कुम्हार,
निवासी-विष्णुनगर फागलिया, तह सेड़वा, जिला
बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हिन्दूसिंह पुत्र खेतसिंह
2. तेजसिंह पुत्र उदयसिंह
3. भवरसिंह पुत्र उदयसिंह
4. सुखसिंह पुत्र उदयसिंह
5. मनोहरसिंह पुत्र उदयसिंह
6. जालमसिंह पुत्र खुसालसिंह
7. गुलाबसिंह पुत्र कगसिंह
8. वीरसिंह पुत्र राजसिंह जाति-राजपुत्र,
निवासी फागलिया, तहसील सेड़वा
9. राज्य सरकार तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.मू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।


राजस्व आवेदन संख्या 93 / 2023

दिनांक : 4/5/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा फागलिया के खेत खसरा संख्या 990/269 रकबा 0.9371 हैक्टर व खसरा संख्या 992/618 रकबा 0.2769 हैक्टर, खसरा संख्या 919/269 रकबा 2.4281 हैक्टर के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा
जिला बाड़मेर

दिनांक 4/5/23

क्रमांक/मू.अ./2023/1238-41

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी गवरीदेवी पत्नि पीराराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण हिन्दूसिंह पुत्र खेतसिंह वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
0/SDO सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं. 63/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर ए एस
गवरीदेवी बनाम हिन्दू सिंह वगैरा
प्राथी वकील - श्री करनाराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांक -


प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा फागलिया के खेत खसरा संख्या 990/269 रकबा 0.9371 हैक्टर व खसरा संख्या 992/618 रकबा 0.2769 हैक्टर, खसरा संख्या 919/269 रकबा 2.4281 हैक्टर स्थित है। प्राथी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्राथी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्राथी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्राथी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड़डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्राथी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्राथी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्राथी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्राथी के वक्त काशत प्राथी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्राथी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्राथी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा फागलिया के खेत खसरा संख्या 990/269 रकबा 0.9371 हैक्टर व खसरा संख्या 992/618 रकबा 0.2769 हैक्टर, खसरा संख्या 919/269 रकबा 2.4281 हैक्टर की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रुबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रुबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हत्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्राथी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(रामजी भाई कलबी)

उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा